सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 90/प्रा0पत्र/2022 दायरा दिनांक :—24.05.2022

GCMS ID—2022/134

1. रामकिशनी पत्नी रामकिशन जाति मीणा निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थीया

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

दिनांक :— 24/01/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी की स्वामित्व एवं आधिपत्य की कब्जे शुदा भूमि खाता संख्या 100 की भूमि खसरा 741/106 रकबा 1.2950 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.2950 हैक्टेयर वाके ग्राम कचनारिया पटवार मण्डल मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में स्थित है। प्रार्थीया गरीब काश्तकार है जो मय परिवार कृषि कार्य पर निर्भर है। प्रार्थीया उपरोक्त भूमियों पर निरन्तर निर्बाध रूप से फसल जोती बोती एवं काटती चली आ रही है। प्रार्थीया के खाते की भूमि खसरा संख्या 741/106 रकबा 1.2950 हैक्टेयर की ऑनलाईन रिकॉर्ड में संहवन से गलत तरमीम अंकित हो गई तथा पुरानी तरमीम के मुताबिक तरमीम नहीं की गई तथा तरमीम का आधार ही मुख्य रूप से कब्जा होता है, इसलिए गलत तरमीम निरस्त करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया की भूमि की, की गई गलत तरमीम को दुरूस्त करके सही तरमीम नहीं की गई तो आस पडोस काश्तकारों के मध्य तरमीम को लेकर वाद विवाद फिजुल होता रहेगा इसलिए गलत तरमीम को दुरूस्त करवाये जाने के अलावा प्रार्थीया के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं है। प्रार्थीया द्वारा दिनांक 09.05.2022 को कम्प्यूटर जमाबंदी व नक्शा ट्रेस लेने पर गलत तरमीम की जानकारी हुई तब श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरमीम को निरस्त कर सही तरमीम अमल दरामद करने का अनुरोध किया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तो बताया कि बाद न्यायालय आदेश के ही गलत तरमीम को दुरूस्त किया जा सकेगा इसलिए प्रार्थीया के पास उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के सिवाय अन्य कोई कानूनी उपचार नहीं रहा है। अन्दर अवधी प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त गलत तरमीम के ऑनलाईन इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि भूमि खाता संख्या 100 की भूमि खसरा संख्या 741/106 रकबा 1.2950 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.2950 हैक्टेयर की अंकित गलत तरमीम को निरस्त कर कब्जे के अनुरूप तरमीम किए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो प्रार्थीया को प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक :– राजस्व/24/1635 दिनांक 01.07.2024 में ग्राम कचनारिया में डी0आई0एल0आर0एम0पी0 शीट पर हो रही खसरा संख्या 741/106 की तरमीम के आंशिक भाग पर ही खातेदार का कब्जा है, खातेदार का अधिकांश कब्जा काश्त मूल खसरा संख्या 106 के भाग पर है। खसरा संख्या 106 कुल रकबा 3.7069 हैक्टेयर किस्म बंजड राजकीय सिवायचक दर्ज है। मौके पर खातेदार के कब्जे काश्त में आ रही भूमि का नक्शा लाल स्याही से दर्शाया गया है। पेरोकार सरकार द्वारा डी0आई0एल0आर0एम0पी0 में गलत हुई तरमीम खसरा संख्या 741/106 की कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना उचित होना आदेशिका पर अंकित किया गया है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।"

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट विवादित भूमि ग्राम कचनारिया के ख.सं 741/106 की डी0आई0एल0आर0एम0पी0 में गलत हुई तरमीम को निरस्त कर प्रार्थीया के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना अपेक्षित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा संख्या 741/106 ग्राम कचनारिया की डी0आई0एल0आर0एम0पी0 के अन्तर्गत राजस्व नक्शे में की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः खसरा संख्या 741/106 की तरमीम प्रार्थीया के कब्जे अनुसार व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 24.01.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

24/01/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)